

प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।
191-लाडपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि:-

श्रीमती कल्पना देवी

मकान नं-1 बृजराज भवन सिविल लाईन्स कोटा

जो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान:- कोटा

दिनांक:- 03.12.2023



(मनीषा तिवारी)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

191- लाडपुरा कोटा

(मनीषा तिवारी)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लाडपुरा (191)
एवं एम.डी.एम.-कोटा

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 191 LADPURA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that -

Smt. KALPANA DEVI

**H. NO. 1 BRIJRAJ BHAWAN CIVIL
LINES KOTA
sponsored by BHARATIYA JANATA
PARTY**

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - KOTA

Date - 03.12.2023



**Signature
RETURNING
OFFICER**

(मनीषा तिवाडी)

रिटर्निंग अधिकारी

**विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लाडपुरा (191)
एच.एस.डी.एम.-कोटा**